126

न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर

न्यायालय श्रृंखला रीवा संभाग रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

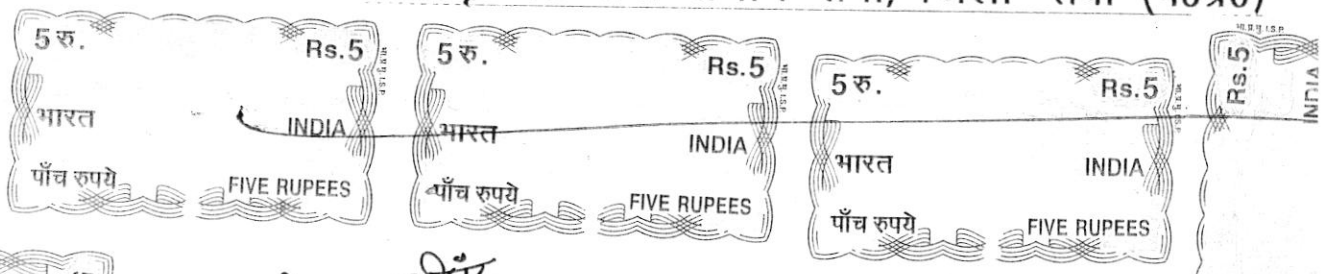

अधि० श्री जयराम सिंह द्वारा प्रस्तुत | 23-1-17

कुंजबिहारी सिंह तनय श्री स्व0 पुरन्दर सिंह चौहान उम्र–60 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम कोचिटा, तहसील गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)

R 5031-II/17

---------निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार सिंह तनय स्व0 श्री हरिहर सिंह बाघेल, उम्र–57 वर्ष, पेशा खेती,
2. नारेन्द्र प्रताप सिंह तनय स्व0 श्री हरिहर सिंह बाघेल, उम्र–45 वर्ष, पेशा खेती,

दोनो निवासी ग्राम कोचिटा, तहसील गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)

3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला कलेक्टर महोदय सीधी, जिला–सीधी (म0प्र0)

--------गैरनिगरानीकर्तागण / अनावेदकगण

राजस्व निगरानी

स्वमोटू निगरानी विरूद्व व्यवस्थापन आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0) के न्यायालयीन व्यवस्थापन प्रकरण क्रमांक 535 / अ–19 / 1975–76 में पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 28.11.1975 एवं आदेश दिनांक 17.11.1983– बाबत् आराजी खसरा क्रमांक पुराना 378 रकवा 14.19 एकड़ के जुज रकवा 5.643 हे0, 377 रकवा 4.05 एकड़ के जुज रकवा 2.03 एकड़ हाल बन्दोबस्त में निर्मित नया खसरा नम्बर 469 / 1.34, 476 / 0.25, 433 / 0.30 हे0, किता 3 योग रकवा 1.89 हे0 स्थित ग्राम कोचिटा राजस्व निरीक्षक मण्डल सीधी गिर्द प्रथम तहसील

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5031–दो/17 निगरानी जिला सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गोपदबनास व्दारा प्रकरण कमांक 535/अ–19/1975–76 में पारित भूमि व्यवस्थापन आदेश दिनांक 28–11–1975 एंव आदेश दिनांक 17–11–1983 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर में दिनांक 23–1–17 को प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक को अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर एंव निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। (1) यह निगरानी भूमि व्यवस्थापन आदेश के विरूद्व दिनांक 23–1–17 को अर्थात आदेश दिनांक 28–11–75 के लगभग 41 वर्ष वाद एंव आदेश दिनांक 17–11–1983 के लगभग 32 वर्ष वाद अति–विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिसके कारण 32 वर्ष एंव 41 वर्ष के विलम्ब को क्षमा कर निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य करना संभव नहीं है। (2) यह निगरानी राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 के अंतर्गत भूमि व्यवस्थापन हेतु पारित आदेश दिनांक 28–11–1975 एंव आदेश दिनांक 17–11–1983 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 30 के अनुसार अपील,निगरानी, पुर्नविलोकन के निम्न नियम हैं :– **(क) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश तहसीलदार/नायव तहसीलदार व्दारा पारित किया गया है, उपखंड अधिकारी को,** **(ख) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश कलेक्टर व्दारा पारित किया गया है – संभागीय कमिश्नर को,** **(ग) कोई भी हितबद्व पक्षकार कलेक्टर व्दारा पारित किये गये अपीली आदेश के विरूद्व कमिश्नर के समक्ष और कमिश्नर व्दारा पारित कये गये अपीली आदेश के विरूद्व राज्य सरकार के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर सकेगा।** उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी अनुचित विलम्ब से प्रस्तुत होने एंव सुनवाई योग्य न होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	